छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 26/2022/परीक्षा/दिनांक 02/06/2022 प्रकाशन की तिथि 15/06/2022

:: विज्ञापन ::

परीक्षा तिथि : 15/09/2022

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 08/06/2022 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/06/2022 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जॉच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. **उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 08/06/2022** को मध्यान्ह 12:00 बजे से **27/06/2022** रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/06/2022 अपरान्ह 12:00 बजे से **02/07/2022** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 03/07/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 07/07/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू.100/– (रूपये एक सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **चिकित्सा शिक्षा (आयुष)** विभाग के अंतर्गत **आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:–

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	53	15	41	18	15	4	12	5	8 (OA,OL) 2 (OA,OL) UR 1 (OA,OL) ST 1 (OA,OL) OBC	127	रू. 56100 लेवल–12
	बैकलॉग	2	1	1	1	-	-	-	-		5	
	कुल	55	16	42	19	15	4	12	5		132	

Abbreviation Used: OA=One Arm, OL=One Leg

महत्वपूर्ण टीप :–

1. पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांगपत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
4. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (OA,OL) ही मान्य होंगे।
5. रिक्तियों में आरक्षण :–

(i) उपरोक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।
7. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह

क्रमशः

(Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता :–

(A) पद का नाम :– आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी

(i) सेवा श्रेणी :– राजपत्रित–द्वितीय श्रेणी

(ii) वेतनमान रूपये :– 56100–177500 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–12)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :–

(क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि, इन्टर्नशिप सहित।

(ख) छत्तीसगढ आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन।

(3) परिवीक्षा अवधि :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

उक्त पदों में वित्त निर्देश 21/2020 के प्रावधान में छूट प्रदान करते हुए स्टायपेण्ड के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन देय होगा।

महत्वपूर्ण नोटः–

(i) अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) निर्धारित आयु सीमाः–

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2022 को **22 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो**, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके **परिणाम–स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः–''छटनी किये गये सरकारी सेवक''** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु **आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी **परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।**

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में **10 वर्ष** की छूट होगी।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये **उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।**

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। **यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक–3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीपः–

(i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भरती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया **जाता है। अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर**

क्रमशः

उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(iii) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2022 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करनें की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें।** परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा **चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।**

(6) **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:–** साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण **उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता** (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण–पत्र यथा– स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(iv) जाति प्रमाण पत्र :–

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) अन्य पिछडा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अत अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

(d) **यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–**

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र सलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका – **4**(i), **4**(ii), **4**(iii), **4**(iv), **4**(vi) एवं **4**(xii) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – **4(vii)** के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला हेतु उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – **4(viii)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – **4(ix)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – **4(x)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव'' का प्रमाण–पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – **4(xi)** के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण–पत्र।

(7) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–**

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) **आपराधिक अभियोजन :–**

(A) **ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–**

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) **परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या**

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी निर्देशों

क्रमशः

या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा सचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / वीक्षक / प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई निर्देश भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर / परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन / संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।**

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और / या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या / उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हताः** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) **चयन प्रक्रिया :–** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं **अथवा** दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा "केवल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीपः– **यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः–**

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट–'एक' तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट–'दो' में प्रकाशित है।

(iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है।

(11) **ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400 / – (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा।** सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क रूपये 30 / – + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(12) **ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।**

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 100 / – का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार / अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।

(13) **परीक्षा के संबंध में:– (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)**

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी आयोग को परीक्षा के प्रश्न–पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न–पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन / शिकायत प्रेषित

क्रमशः

कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(14) यात्रा व्यय का भुगतान :–

(i) छत्तीसगढ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से सबधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होगे। अत: वे छत्तीसगढ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

(ii) **साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया **राशि का भुगतान नियमानुसार** कंडिका 14(i) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम–2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांकों की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाईट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाईट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(18) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–

(जीवन किशोर ध्रुव)
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट–एक,
''परीक्षा योजना''

(1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

परीक्षा	–	300 अंक
साक्षात्कार	–	30 अंक
कुल	–	330 अंक

(2) परीक्षाः–

(i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगाः–

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या 150 3:00 **घंटे** **अंक** 300

भाग 1 – छत्तीसगढ का सामान्य ज्ञान – 50 प्रश्न (100 अंक)

भाग 2 – आयुर्वेद – 100 प्रश्न (200 अंक)

कुल – 150 प्रश्न (300 अंक)

(3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

(4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगाः –

$$MO = M \times R - \tfrac{1}{3} M \times W$$

जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

(5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट–दो** में दी गई है।

(6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।

(7) साक्षात्कारः– साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

(8) **आयोग के प्रक्रिया नियम–2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

(9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(10) चयन सूचीः– उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

(11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम–2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

□□□□□

परिशिष्ट–दो,
"पाठ्यक्रम"

भाग-1

छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1 छत्तीसगढ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ का योगदान।

2. छत्तीसगढ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशायें।

3. छत्तीसगढ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।

4 छत्तीसगढ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार।

5. छत्तीसगढ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।

6. छत्तीसगढ का प्रशासनिक ढ़ांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।

7. छत्तीसगढ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।

8. छत्तीसगढ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं।

Part-I

General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom struggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

भाग.2 :: आयुर्वेद ::

I. काय चिकित्सा –

1 काय चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सा की परिभाषा, भेद, चतुष्पाद, चिकित्सक के भेद, षडविध उपक्रम सिद्धान्त.

2. पंचकर्म – पंचकर्म में प्रयोज्य कर्म तथा उनका प्रयोजन, परिभाषा तथा विधि का वर्णन।
स्नेहन स्वेदन योग्य व्याधियां तथा रोगियों का वर्णन।
वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, आस्थापन, अनुवासन कर्मों के अयोग, अतियोग, सम्यक् योगों का लक्षण अतियोगजनित उपद्रवों का प्रतिकार । स्नेह प्रयोग में विचारणा की उपादेयता तथा प्रकार का वर्णन । स्नेह की मात्रा, स्नेह के द्रव्यों का तथा स्वेदन–किया में प्रयोज्य द्रव्यों का ज्ञान ।
वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरूह, अनुवासन कियाओं में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों तथा यन्त्रों का ज्ञान । संशोधन के योग्य पुरूष के बल–अबल के अनुसार पंचकर्म के उपयोगी औषध तथा द्रव्यों का विचार ।

3 रसायन – परिभाषा, रसायन का प्रयोजन तथा महत्व । रसायन के प्रकार तथा रसायन सेवन के कुटी प्रवेशिक, वातातपिक भेद । विविध रसायन योग, आचार रसायन, रसायन की मात्रा निर्धारण तथा अवस्था के अनुसार मात्रा भेद,

4. वाजीकरण– वाजीकरण, परिभाषा प्रयोजन एवं महत्व । विविध वाजीकरण योग एवं उनका गुण, कर्म मात्रा, सेवन प्रयोग विधि, ।

5. निम्न व्याधियों का सामान्य कारण, सम्प्राप्ति, लक्षण, चिन्ह एवं चिकित्सा–ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, प्रवाहिका, अर्श, विसूचिका, परिणामशूल, अम्लपित्त, आमवात, वातरक्त, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, पांडु, कामला, अपस्मार, कास, श्वास, कुष्ठ, प्रमेह, मधुमेह, मूत्रकृच्छ, मेदोरोग, अश्मरी आदि । वातव्याधि, उदररोग, उपदंश, उन्माद, अपस्मार, अतत्वाभिनिवेश, गुल्म, कृमिरोग, शीतपित्त, मसूरिका, श्लीपद. आंत्रिकज्वर, श्लेष्मकज्वर, आक्षेपक, विषमज्वर मलेरिया, श्लीपद मसूरिका, रोमान्तिक ज्वरों का प्रतिषेधात्मक तथा चिकित्सा का वर्णन, हृद रोग– हृदयाभिघात, हृच्छूल (हृदयशुल)

निम्नलिखित योगों के रोगाधिकार, मुख्य घटक एवं गुणधर्म–

(1) क्वाथ– षडंगपानीय,

(2) चूर्ण– सुदर्शन, अविपत्तिकर, लवणभास्कर, वालचातुर्भद्र, शतावरी चूर्ण, पुष्यानुग चूर्ण, लवंगचतु:सम, हिंग्वष्टक, पंचसकार, सितोपलादि, तालिसादि, त्रिफला, त्रिकटु, पंचकोल,

(3) गुटिका– शंखवटी, कांचनार गग्गुलु, कैशोर गुग्गुलु, सिंहनाद गुग्गुलु, योगराज गुग्गुलु, संजीवनी वटी, कांकायन वटी, ब्योषादि वटी, चन्द्रप्रभा वटी, चित्राकादि वटी, लवंगादि वटी, एलादि वटी,रसोन वटी, आरोग्यवर्धनी वटी.

(4) अवलेह– वासावलेह, च्यवनप्राशावलेह.चित्रकहरीतकी अवलेह,व्याघ्रीहरीतकी

(5) आसवारिष्ट– द्राक्षारिष्ट, अभयारिष्ट, अर्जुनारिष्ट, अमृतारिष्ट, दशमूलारिष्ट, कुटजारिष्ट, कुमार्यासव, लोहासव, लोध्रासव, कनकासव, अशोकारिष्ट,चंदनासव,

(6) तेल– नारायण तेल, मरिच्यादि तेल, विषगर्भ तेल.पंचगुण तेल,

(7) घृत– फलघृत, त्रिफलाघृत. ब्राम्ही घृत,

(8) रस– मकरध्वज, रस सिंदूर, आरोग्यवर्धिनी, मृत्युंजय रस, आनन्द भैरव रस, हिंगुलेश्वर रस, बसन्तकुसुमाकर रस, विषमज्वरांतक लौह, सर्वज्वरहर लौह, सूतशेखर रस, वातकुलान्तक रस,वृहतवात–चिंतामणी रस, जलोदरारि रस, रामबाणरस, पुनर्नवामण्डूर, सप्तामृतलौह, नवायसलौह, कुमारकल्याणरस, गर्भपाल रस, प्रतापलंकेश्वररस, लक्ष्मीविलासरस, रसमाणिक्य, गंधकरसायन।

(9) भस्म एवं पिष्टी– शंखभस्म, कर्पदिका भस्म, गोदन्ती भस्म, प्रवालपिष्टी, जहरमोहरा पिष्टी, अकीक पिष्टी, कहरवा पिष्टी, लोह भस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म, शुद्धस्फटिका, स्वर्जिका क्षार, यवक्षार. अमृतासत्व, पंचामृतपर्पटी, श्वेतपर्पटी, बोलपर्पटी।

II. आत्यायिक चिकित्सा एवं राष्ट्रीय कार्यकम –

आत्यायिक चिकित्सा– आत्यायिक चिकित्सा (आकस्मिक दुर्घटना या अन्य कारणजन्य रोग चिकित्सा) परिभाषा, प्रकार तथा सामान्य चिकित्सा सिद्धान्त। जैसे– जल, विद्युत, अपघात, दग्ध, तीव्र रक्तस्राव, तीव्र उदरशूल, वृक्कशूल, तीव्रश्वास, काठिन्य, मूत्रावरोध, आंत्रावरोध, हृच्छूल मूर्च्छा, तीव्र उदर कला शोथ, तीव्र आन्त्राशोथ, तीव्र ज्वर, औषध प्रतिकिया, विषाक्तता आदि के आत्ययिक अवस्थाओं का विवेचन तथा प्रतिकार। अमृतजल आदि का सूचीभरण, रक्तदान।
स्वास्थ्य संगठन की रचना, परिवार कल्याण कार्यकम, परिवार कल्याण कार्यकम की विविध पद्धतियां,
राष्ट्रीय कार्यकम –मलेरिया, नेत्रान्ध्य, राजयक्ष्मा, कुष्ठनिवारण आदि राष्ट्रीय कार्यकम का स्वरूप।
मातृ–शिशुकल्याण कार्यकम – मातृ– शिशुकल्याण कार्यकम का उद्देश्य, महत्व, बालको में टीकाकरण की व्यवस्था, भारत वर्ष में मातृ शिशु कल्याण के विभिन्न कार्यकम।
विश्व–स्वास्थ्य–संगठन आलमाआटा घोषणा पत्र।

III. शल्य एंव शालाक्य तंत्रा –

क्रमशः

निम्न व्याधियों के सामान्य कारण, लक्षण एवम् शस्त्रा चिकित्सा परिकर्तिका अर्श, भगंदर, अश्मरी, उदररोग, विद्रधि, ग्रंथी, अर्बुद, अपची, वृद्धि, श्लीपद, निरूद्ध प्रकश, कुनख, गलगण्ड, गण्डमाला।

व्रणशोथ विद्रधि की निदान एवं चिकित्सा।

व्रण, दुष्टव्रण, नाडीव्रण की निदान एवं चिकित्सा।

सद्योव्रण (आगन्तुजव्रण) की चिकित्सा सीवन पट्टबंधन प्रकार आदि।

दग्धव्रण, रक्तस्राव निदान चिकित्सा।

क्षारकर्म अग्निकर्म, जलौका अवचारण तथा रक्तमोक्षण चिकित्सा तथा सघान कर्म

अबूर्द, ग्रथि, अस्थि भग्न एवं संधिमोक्ष निदान एवं चिकित्सा।

स्तनविद्रधि, यकृतविद्रधि, की निदान चिकित्सा।

मूत्रकृच्छ वृषणवृद्धि, मूत्रवृद्धि और आंत्रवृद्धि अण्डकोष विकार सामान्य निदान एवं चिकित्सा।

नेत्र शरीर नेत्र किया शारीर एवं नेत्र परिक्षण।

संधिगत रोग की संख्या, पूयालस उपनाह, पर्वणी अलजी आदि का निदान एवं चिकित्सा।

वर्त्मगत रोग की संख्या उत्संगिनी पोथकी का निदान एवं चिकित्सा।

शुक्लगत रोग की संख्या अर्म, पिष्टक, का निदान एवं चिकित्सा।

कृष्णगत रोग की सख्या सव्रणशुक्ल, अव्रणशुक्ल आदि का निदान एवं चिकित्सा।

सर्वगतरोग की संख्या अभिष्यन्द, अधिमन्थ का निदान एवं चिकित्सा।

दृष्टिगत रोग की संख्या कांच,तिमिर, लिंगनाश, (केटरेक्ट) आदि रोगों का निदान एवं चिकित्सा।

शिरोगतरोग– सूर्यावर्त, अर्द्धावभेदक, शिरोरोग, इन्द्रलुप्त, खालित्य, पालित्य, अरूषिका, इनके लक्षण तथा चिकित्सा।

कर्णरोग– कर्णशूल,कर्णनाद,कर्णक्ष्वेड,कर्णविद्रधि, कर्णस्त्राव, कर्णपाक, कर्णगूथ, बाधिर्य इनके लक्षण तथा चिकित्सा।

नासारोग– नासा रोगों की संख्या, प्रतिश्याय, पीनस, अपीनस, क्षवथु, नासार्श, नासानाह, आदि रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा।

दन्तरोग– दन्तशर्करा,कृमिदन्त,दालन,दन्तहर्ष, आदि रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा।

दन्तमूलगतरोग– शीताद,दन्तवेष्ट, शौषिर, अधिमांस, आदि रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा।

जिव्हागतरोग– जिव्हागत रोगों की संख्या, जिव्हाकण्टक,उपजिव्हिका इनके लक्षण तथा चिकित्सा।

तालुरोग– संख्या, गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी, तालुपाक, आदि के लक्षण तथा चिकित्सा।

कण्ठगतरोग– संख्या, कण्ठशालूक, के लक्षण तथा चिकित्सा।

मुखपाक– भेद, लक्षण तथा चिकित्सा।

IV. व्यवहार आयुर्वेद एवं अगद तंत्र –

विष की परिभाषा, उत्पत्ति, विष क्रिया, विष का प्रकार,

मद्यविष – मद्यविष के दोष तथा गुण। मद की विभिन्न अवस्थाएं,मदात्यय का लक्षण तथा चिकित्सा।

जंगम विष – सर्पविष, विष के अनुसार सर्पो के भेद, सर्पदंश के लक्षण तथा चिकित्सा। वृश्चिकविष, लूताविष, मूषकविषों के लक्षण तथा चिकित्सा।

अलर्कविष लक्षण, साध्यासाध्यता तथा चिकित्सा।

उपविषवर्णन – लक्षण तथा चिकित्सा। कुपीलु, भल्लातक, अहिफेन, धतूर, भाग अर्क एवं जयपाल।

खनिज विष – पारद, नाग, वंग, गिरिपाषाण तथा ताम्र आदि का प्रभाव, लक्षण चिकित्सा।

भारतदेश में सामान्यतः प्रयोग में आने वाले विषों का परिचय, वर्गीकरण तथा उनके सेवन से उत्पन्न लक्षण, निदान तथा चिकित्सा।

न्यायालय तथा तत्संबंधी विवेचन आरक्षण में (पुलिस) परीक्षण, शपथ, चिकित्सक के साक्षी। चिकित्सक के प्रमाण पत्रा, मृत्युकाल के समय लिखित अथवा मौखिक साक्षी, उस विषय के अभिप्राय तथा उसके नियम।

व्याभिचार – अप्राकृतिक कर्म, गर्भपात, भ्रूणहत्या, कौमार्य का व्यवहारायुर्वेदीय परिज्ञान ।

चिकित्सक का कर्तव्य, आचार–नियम, व्यसायिक अधिकार तथा गोपनीयता

V. प्रसूति तंत्रा–स्त्री रोग –

रजोविज्ञान – आर्तव, रजोत्पत्ति, रज का प्रमाण–मात्रा स्वरूप, कार्य।

रजोनिवृत्ति, स्तन, आर्तव, स्तन्य (दूध) – इन सबका आपसी संबंध विवेचन।

गर्भविज्ञान – गर्भावक्रान्ति, गर्भव्याख्या, शुक्रवर्णन गर्भसंभव सामग्री, गर्भ में लिंग (स्त्री–पुरूष) निर्णायक लक्षण और परीक्षण, गर्भ की आकृति, गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि, अपरा का निर्माण, अपरा की विकृति, गर्भोपक्रम, नाभिनाड़ी गर्भप्रकृति तथा विकृति।

गर्भिणी विज्ञान– सद्योगृहीत गर्भा के लक्षण, पुंसवनविधि, गर्भिणी निदान एवं लक्षण।

गर्भ व्यापद – गर्भस्राव, गर्भपात, उपविष्टक, नागोदर, लीनगर्भ, मूढगर्भ, अकाल प्रसव, कालातीत प्रसव, पाण्डु, गर्भजन्यविषमता, मृतगर्भ ।

गर्भिणी व्यवस्था – स्वास्थ्य परीक्षा–रक्तचाप, नाडीभार, रक्त, मल, मूत्र, योनिस्राव। गर्भिणी के स्वास्थ्य का निर्देश, शिक्षा व्यवस्था, आहार, विहार, दिनचर्या।

प्रसव विज्ञान – परिभाषा, अवधि, हेतु, आसन्न–प्रसवा का लक्षण, प्रसवपत्रिका, उपस्थित प्रसव का लक्षण, प्रसवकाल, की अवस्थ में प्रबन्ध।

प्रसव व्यापद – गर्भसंग, अपरासंग, प्रसवोत्तर रक्तस्राव,

सूतिका विज्ञान – सूतिका काल, सूतिका कालान्तर्गत परिवर्तन व्यवस्था, सूतिका का आहार, सूतिका रोग, संख्या, हेतु, लक्षण, साध्यासाध्यता तथा चिकित्सा।

स्तन्य (दूध) – स्तन्यदुष्टि, अल्पप्रवृत्ति, प्रचुरप्रवृत्ति, इसका कारण तथा चिकित्सा ।

स्त्री रोग –

रजोक्षय रजोदुष्टि, कष्टार्तव, रक्तप्रदर, योनिव्यापद, योनिभ्रंश, बन्ध्यत्व का हेतु, भेद, निदान, लक्षण तथा चिकित्सा।

स्तनकीलक, स्तनविद्रधि निदान, लक्षण तथा चिकित्सा ।

VI. कौमारभृत्य –

सद्योजात– जातमात्रा–नवजात–बालक की परिचर्या, स्तन्य के अभाव में पथ्य, चिकित्सा व्यवस्था।

धात्री परीक्षा– बालक का मानसिक शारीरिक वृद्धि तथा विकासं

बालरोग परीक्षा विधि– वय भेद के अनुसार औषधि मात्राा का निर्धारण।

संघात बल प्रवृत्त– कामला

आदि बल प्रवृत्त– राजयक्ष्मा

दैवबल प्रवृत्त– जलशीर्षक

प्रसवोत्तर व्याधियां –नाभिरोग, आक्षेपक, मुखपाक, गुदपाक, मलावरोध, छर्दि, अतिसार, प्राणवहस्त्रोतस् की व्याधि।

क्षीरान्नाद–दन्तोद्भेद कालीन व्याधियां– कृमि, ज्वर, अतिसार, मृद्भक्षण जन्य, पाण्डु, पारिगर्भिक, फक्क, शोष, शैशवीय पक्षाघात, शैया मूत्रा, अपस्मार,कृमिदन्त।

व्याधिक्षमत्व – व्याधिक्षमत्व विकृति से उत्पन्न व्याधियां तथा उनका सामान्य परिचय, प्राथमिक व्याधिक्षमत्व हीनता, द्वितीय व्याधिक्षमत्व हीनता।

VII. स्वस्थवृत्त –

व्यक्तिगत स्वास्थ्य– स्वस्थवृत्त का प्रयोजन, स्वस्थ का लक्षण, दिनचर्या, रात्रिचर्या, रितुचर्या, त्रय उपस्तम्भ, सद्‌वृत्त, धारणीय अधारणीय वेग, उपवास, निन्दित, अनिन्दित पुरूष, प्रज्ञापराध शरीर का शोधन तथा रक्षात्मक कार्य अहितकर कार्य ।

आहार विधि– आहार विधि विशेष आयतन वर्णन, पथ्यापथ्य आहार–भोजन पाचनकाल, आहार का दुष्परिणाम तथा उसके रोग संतर्पण अपतर्पण जन्य व्याधि ।

आहार का प्रमाण तथा पोषण – प्रोभूजन–कार्बोज, वसा–खनिज लवण–जीवनीय तत्वों की योनियां (उद्‌गमसाधन), कार्य,अभावजन्य व्याधि, षड्रस भोजन का महत्व, देश के अनुसार पोषण, मानपरीक्षा, पोषण का सामाजिक परिणाम, पोषण विषयक राष्ट्रीय कार्यकम ।

निद्रा

ब्रम्हचर्य

विहार– दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वेगसंधारणगत दोषों का वर्णन, संगति का स्वास्थ्य पर प्रभाव, सदवृत्त, आचार, रसायन, मिथ्या विहार से रोगों का उद्‌भव।

जल– जलशुद्धि के प्रकार, भौतिक तथा रासायनिक जल–शोधन, यान्त्रिक जल–शोधन की अनेक विधियां जल परीक्षणादि।

अपद्रव्य– नगर एवं ग्रामीण अपद्रव्यों (कूड़ा करकट) के निवारण की व्यवस्था।

शव विनाश – अग्निदाह, भूमि में गाड़ना, विद्युतदाह।

संकामक रोग– जनपदोंद्ध्वंस–संकामक रोग की परिभाषा, विज्ञप्ति, विसंकमित करना, विसंकमण की प्राकृतिक–रासायनिक एवं भौतिक विधियां, विषमज्वर, मसूरिका, विसूचिका, वातज्वर, व्याधिक्षमत्व प्रकार, संसर्जन तथा कुप्रसंग से उत्पन्न रोग, जैसे– फिरंग, उपदंश पूयमेह आदि का प्रतिकार।

VII. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग –

स्वास्थ्य रक्षा में योग का महत्व

यम तथा नियम

आसन की उपयोगिता तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव।

निम्न प्रमुख आसनों का ज्ञान – स्वस्तिकासन, गोमुखासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तानकूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, पवनमुक्तासन, भुजंगासन, वज्रासन, मत्स्यासन, चकासन।

प्राणायाम के समय अवर–प्रवर–मध्य कम का लक्षण।

प्राणायाम का स्वेद कार्य।

षट्कर्म "धौति" आदि छः कियाएं।

योग के आठ अंग तथा उनका परिचय।

नैष्ठिकी चिकित्सा।

निसर्गोपचार का प्रयोजन तथा महत्व।

जल का महत्व

पाद प्रक्षालन, वमन, धौति, वस्ति, स्नान तथा पाद–हस्त

वाष्प स्नान

मिट्टी चिकित्सा

आतपस्नान

मर्दन का भेद, गुण

उपवास का चिकित्सा में महत्व ।

IX. आयुर्वेद सिद्धान्त –

आयु : परिभाषा, स्वस्थ परिभाषा, पंचमहाभूतों का दोषों से सम्बन्ध षढविध क्रिया काल का ज्ञान वातपित्त एवं कफ के भेद, गुण तथा कर्म।

धातु – भेद, कर्म, निरूवित। पोषण कम सिद्धान्त। रस, रक्त मांस, भेद, अस्थि मज्जा, शुक्र– इनकी निरूक्ति उत्पत्ति एवं सामान्य गुणकर्म वर्णनः रस से शुक्र तथा आर्तव की उत्पत्ति, ओज की उत्पत्ति तथा गुण।

उपधातुओं की उत्पत्ति प्रकार तथा गुण ।

मल – भेद, महत्व, कर्म।

दोषों के प्रकोप के कारण, वृद्धि क्षय के कारण एवं लक्षण।

दोषों का कोष्ठ से शाखा आदि में गमन, शाखा आदि से कोष्ठ में गमन।

दोष–दूष्य का आश्रय–आश्रयीभाव।

दोषों के चय–प्रकोप आदि के हेतु।

कियाकाल, दोषों के संचय के लक्षण, व्यापन्न ऋतुओं में दोष प्रकोप एवं लक्षण। प्रसर का विशेष लक्षण एवं स्थानसंश्रय का वर्णन।

सप्त पदार्थ, द्रव्य–रस–गुण–वीर्य–विपाक–प्रभाव–कर्म–इनके सामान्य परिचय।

निदानपंचक का महत्व – हेतु (कारण) पूर्वरूप, रूप–रूप का महत्व, उपशय, सम्प्राप्ति का परिचय एवं महत्व, नाडी–मूत्र आदि अष्टविध परीक्षा तथा षड्‌विध परीक्षा।

□□□□□

क्रमशः

परिशिष्ट–तीन,
"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तो को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखे। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाए। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी पर दी जाएगी।

(2). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाईल व ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन आवेदन की पावति एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

(5). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देशः–** आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखे। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो मे अभ्यर्थी की दोनों आखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः–** ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।**

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा/अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।**

(11). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।**

(12). **ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–**

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 30/– + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।

(iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप

क्रमशः

में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः–

(i) आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

<u>प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः–</u>

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार मे तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी का परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कपनियो द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/सपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिको की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिको की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनो अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जाच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार मे सम्मिलित होने से वचित कर सकेंगे।

□□□□□